Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 5
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

पूर्वी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति का सामाजिक–सांस्कृतिक पार्श्वचित्र

डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
आचार्य एवं अध्यक्ष–समाजशास्त्र विभाग
का.सु.साकेत.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Publication Issue :
September-October-2023
Volume 6, Issue 5
Page Number : 25-29
Article History
Received : 01 Sep 2023
Published : 29 Sep 2023

शोधसारांश– भारत विविध सभ्यता एवं संस्कृति का देश रहा है। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पायी जाती हैं। सम्पूर्ण भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इनका जीवन जहां कृषि एवं पशुपालन पर आधारित रहा, वहीं विकास एवं परिवर्तन के साथ थारू भी सभ्य समाज के साथ जुड़ते गये। आज यह जनजाति मात्र वनों पर आधारित जीवन पर निर्भर ना होकर सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर अपना जीवन उचित रूप में निर्वहन करने की दिशा की ओर अग्रसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद–342 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया, जिसे संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियां कहा या समझा जाय। थारू जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विविधताएँ प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अपनी विविधता को संजोये हैं।

मुख्य शब्द – जनजाति, संस्कृति, परिवेश, थारू, अधिकार, जीवन, जागरूकता, सर्वांगीण विकास, लोक संस्कृति।

भूमिका– उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पाँच जनपदों यथा महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराईच तथा लखीमपुर खीरी के साथ–साथ बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील में निवास करने वाली थारू जनजाति **'किरात वंश'** से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, जो कई अन्य उपजातियों में विभाजित हैं। सम्पूर्ण थारू क्षेत्र को **'थरूआर'** कहा जाता है।

थारू जनजाति राणा वंश से संबंधित है जिनके संबंध में कहा जाता है कि मुस्लिमों के अत्याचार से भयभीत होकर 12 राणा राजपूतानें से भागकर गोरखपुर क्षेत्र में बस गये। पहाड़ी महिलाओं से विवाह करके यह उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में फैल गये। जौहर व्रत की असहनीय पीड़ा से घबराकर कुछ राजपूत स्त्रियां अपने सेवकों के साथ जंगलो की ओर छिपते हुए भाग निकलीं, उन्हीं के साथ संबंध स्थापित किये, उनसे उत्पन्न संतान को ही थारू कहा जाता है।[1]

थारू अपने पड़ोसी समुदायों के लिए विशिष्ट वनवासी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, गंवार लोक जीवन दर्शन का बोधक बना है। थारूओं की भाषा हिन्दी, भोजपुरी एवं नेपाली से प्रभावित है। इनके मकान लकड़ी, बांस एवं नरकुल के प्रयोग से बनाये जाते हैं, जो कि दक्षिण–पूर्व या उत्तर में होता है, किन्तु मुख्य द्वार हमेशा पूर्व की ओर ही होता है। पूजाघर एवं रसोईघर हमेशा उत्तरी छोर पर आखिरी में होता है। इनका मुख्य पेशा या व्यवसाय कृषि आधारित

Copyright © 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)** which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial use provided the original author and source are credited.

होता है। कृषि से संबंधित अनेक पूजा–पाठ या टोटके भी किये जाते हैं। वस्तुओं के आदान–प्रदान से इनका जीवन सरल बनता है।[2]

1951 की जनगणना में सर्वप्रथम 214 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था, किन्तु थारू जनजाति को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तत्पश्चात् 1967 में उत्तर प्रदेश के भोटिया, बोक्सा, जौनसारी और राजी के साथ भी थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया। वास्तव में थारू जनजाति प्रकृति के अनुरूप ही अपनी संस्कृति को बचाने में सफल रही। उनके आवास, भोजन, कपड़ा, धर्म, कला, अर्थव्यवस्था और जीवन के अन्य भाग प्रकृति से जुड़े हैं, जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के संतुलन से अनुकूलन रखती हैं।

तराई क्षेत्र में विकास करने के कारण इन्हें **'थरूआर', 'थडुवा'** भी कहा जाता है तथा इनके निवास को **'थडुआ'** के नाम से जानते हैं। बलरामपुर जनपद के गैसडी और पंचपेडवा ब्लाक में थारूओं की संख्या सर्वाधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार पंचपेडवा ब्लाक के कुल 33 गांव में थारूओं की जनसंख्या **19,097** थी। इसी क्रम में गैसडी ब्लाक के कुल 19 गावों में जनसंख्या **5510** थी। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार बलरामपुर जनपद में थारूओं की कुल जनसंख्या **24,761** दर्ज है।[3]

श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव के प्रजा के रूप में थारूओं की पहचान रही है। सहज–जीवन और आत्मनिर्भरता इनकी पहचान रही है। ये सिर पर चोटी रख कर टोपी लगाते हैं। पुरुष अधनंगे और कौपीनधारी होते हैं। कमर से बंधी सूत की डोरी या रस्सी से दस इंच चौड़ी और पाँच फीट लम्बी सफेद कपड़े की पट्टी को दो परतों में लपेट कर लटका लेते हैं। जाड़े के दिनों में बड़ी सलूका और कमीज धारण करते हैं। महिलाएँ लहंगा–चोली तथा ओढ़नी पहनती हैं। आधुनिक परिवेश से यह जनजाति अब अछूती नहीं रह गयी है। पुरुष पैन्ट, शर्ट, कोट एवं महिलाएँ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि पहनने लगी हैं।

थारू जनजाति का भोजन हमेशा साधारण रहा है। यह नियमित रूप से चार बार भोजन करते हैं। सुबह कलेवा, दोपहर में मिझनी, शाम को सिझनी और रात्रि में बेरी खाते हैं। खाने में मांड, दही, रोटी, चावल, चावल का भूजा, मांस, सूखी मछली इन्हें सर्वाधिक पसन्द है।

इनकी पहचान अब धीरे–धीरे अब सीमित होती जा रही है। गोरे–चिटटे, सुडौल शारीरिक गठन वाले आकर्षक थारूओं की नई पीढ़ी पीत वर्णी होती जा रही है। इनमें आर्य, मंगोल वर्ण के साथ–साथ अन्य वर्णों का संक्रमण या मिश्रण दिखाई पड़ रहा है। जहां इनकी परम्परा आर्य संस्कार के साथ जुड़ी हैं, वहीं इनमें वर्ण व्यवस्था के भी लक्षण कहीं न कहीं सुरक्षित हैं। यह आर्य सत्य संस्कृति के व्यवहारी रहे हैं। इसी क्रम में इनकी पहचान संस्कृति सम, सन्तोष, त्याग, तप, दया, विवेक, प्रेम, श्रद्धा–भक्ति, दान, मान और स्वाभिमान के साथ मानव संस्कृति के रूप में रही है। अतिथि का सत्कार, सेवा, मांस, मंदिरा, मस्ती ही थारू संस्कृति रही है।

थारू वैदिक, पौराणिक एवं ग्राम देवता की पूजा –अर्चना करने वाली संस्कृति के पोषक रहे हैं। ये राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, लक्ष्मण, निराकार ब्रह्म, शंकर, काली, भवानी, भैंसासुर तथा पाँच पाण्डवों की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं।

थारूओं में कर्म आधारित नाम रखने की रूढ़िगत परम्परा प्राचीन रूप से मिलती है, जैसे– गाड़ी हांकने वाला 'लढिवनवा', खेत जोतने वाला, 'किसनवा', खाना पकाने वाला 'भनसरिया', जानवर चराने वाला 'चरबहवा', पानी भरने वाला 'पनिभरवा', धान कूटने वाला व गेहूं पीसने वाला 'कुटनाहे–पिसनाहे' कहे जाते हैं।[4]

सामाजिक जीवन– प्राचीन काल से ही यह प्रचलित रहा है कि थारू समाज परम्परावादी, रूढ़िवादी एवं अन्धविश्वासी प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है। स्वभावगत रूप से थारू पुरुष वर्ग स्त्रियों का गुलाम रहा है। इनकी संस्कृति पूर्ण रूप से आदिम जाति या जनजातियों के समान तो नहीं रही परन्तु उस प्रजाति (थारू) में भी अति प्राचीनता के साथ–साथ आदिम समाजों की कुछ विशेषता अवश्य पायी जाती है।[5] सामाजिक जीवन में राजनीति

की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक रही है। राजनीतिक भूमिका ने निरन्तर थारू जनजाति के साथ–साथ अन्य समुदायों को भी प्रभावित किया है। ये लोग समाज के कमजोर और दबे–कुचले उपेक्षित वर्ग को अपने माया जाल में फंसा कर अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करते रहे हैं। शिक्षा से वंचित थारू समुदाय भी अपने हितों, संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित रहा जिसका परिणाम आज हमारे समक्ष है। सभ्य समाज के निरन्तर नजदीक रहने वाली यह जनजाति सामाजिक रूप से तो कमजोर रही है, राजनीतिक लाभ से भी वंचित रही।[6] जागरूकता की कमी स्वभावगत रूप से सीधा होना कारण रहा है। स्वतंत्रता के 75 वीं वर्षगांठ पर भी यह समुदाय आवश्यक आवश्यकताओं से वंचित और कमजोर स्थिति में है।

आर्थिक जीवन– थारू जनजाति भी अन्य जनजातियों की भांति कृषि पर आधारित जीवन निर्वहन करती रही है। इनके आय का प्रथम स्त्रोत कृषि एवं द्वितीय स्त्रोत मछली का शिकार करना रहा है। मछली पकड़ने को व्यवसाय तो नहीं कहा जा सकता है किन्तु यह पारिवारिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। जंगलों के आस–पास क्षेत्रों में थारू शिकार भी करते हैं। ये जंगली क्षेत्र में सूअर, चीतल, पक्षी आदि का शिकार करते हैं। वास्तव में थारू समाज के पुरुष वर्ग स्वभावगत रूप से सुस्त एवं ढीले प्रवृत्ति के होते हैं। जो भी कृषि योग्य भूमि इनके पास है, उनसे भी अपेक्षाकृत उपज नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण है, परम्परागत यंत्रों का प्रयोग एवं प्रविधियां, इनके सभी कार्य परम्परागत रूप से होते हैं। सुस्त और सीधे स्वभाव के कारण यह मात्र जीवन यापन करने के लिए कृषि से अनाज प्राप्त कर पाते हैं।

मछली मारना थारूओं का पारिवारिक कार्य है जिसे वह आवश्यकता के रूप में करते हैं। ये समूह में मछली पकड़ने जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों अलग–अलग मछली का शिकार करते हैं। ऐसा इसलिए है कि स्त्रियां अपने द्वारा पकड़ी गयी मछली ही खाती हैं। पुरुषों द्वारा स्पर्श की गई मछली वह नहीं खाती हैं। अधिकांश थारू जनसंख्या निर्धन और गरीब हैं, अकुशल और अपर्याप्त कृषि से उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता है।[7]

सांस्कृतिक जीवन– थारू जनजातियों में भी धर्म एवं संस्कृति के प्रति गहरा लगाव है। उनकी प्रमुख देवी कालिका हैं। यह टोने–टोटके में भी विश्वास करते हैं। हिन्दू, मुस्लिम एवं अन्य धर्म के आराध्य को भी यह स्वीकार करते हैं। भरारा की मुख्य आराध्या कालिका हैं जिनका वह मंत्रों के माध्यमों से आह्वान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भैरव व महादेव भी उनके आराध्य हैं जिनकी वह पूजा करते हैं। इनके अन्य देवता भी हैं– वीर, झाक, गरार, रतिनाथ, देवहर, सावन, लूटा आदि, पर्वतिया, पुण्यगिरि, वनस्पति, पीपल आदि इनके लिए आराध्य हैं, जिनकी पूजा करते हैं।[8]

तीज, त्योहार– परिवर्तित परिवेश में भी वह अपने त्योहारों को बचाकर रखे हैं। वैसे तो वह अधिक त्योहारों में विश्वास नहीं करते हैं। इस समाज के त्योहारों में ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं होती है। थारू जनजाति में **'चढ़ाई'** त्योहार को अधिक महत्व दिया जाता है जिसे वर्ष में दो बार **'चैत्र'** एवं **'वैशाख'** में मनाया जाता है। इस त्योहार को मुख्यतः परिवार की स्त्रियां गांव के बाहर देवी की आराधना को केन्द्रित करके मनाती हैं। तीज को दूसरा स्थान प्राप्त हैं। वैसे तो तीज–त्योहार हमारे रीति–रिवाज के अनुसार सावन माह में ही मनाये जाते हैं। वास्तव में **होली** व **मुण्डन** इनके मुख्य त्योहार हैं, जिसमें मछली व शराब का सेवन किया जाता है। 'दीपावली' को यह अशुभ मानते हैं।[9]

वास्तव में अशिक्षित एवं पिछड़े हुए थारूओं का जीवन अन्धविश्वास व परम्पराओं से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। चिकित्सा व धर्म में विश्वास एवं जादू–टोना को अधिक प्रमुखता दी जाती है। रोगी की मृत्यु होने पर भी डॉक्टरी सुविधाओं को छोड़कर टोने–टोटकों पर अधिक विश्वास किया जाता है। आज के भौतिकवादी परिवेश में थारू जनजाति नगरों की समीपता के प्रलोभनों एवं आकर्षणों से दूर तराई क्षेत्र में आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत तो करती है किन्तु इनसे अलग नहीं हो सकते। औद्योगीकरण के बढ़ते प्रभाव, गरीबी और बेरोजगारी के कारण थारू जनजाति नगरों में मजदूरी आदि कार्यो के लिए पलायन कर रहे हैं।[10]

वैवाहिक जीवन– थारू जनजाति में विवाह केवल **'माघ'** में होता है, जिसे **'लठमरवा'** भोज कहा जाता है। विवाह के पश्चात् गौने की भी प्रथा प्रचलित है। जब दोनों पक्षों में विवाह कार्यक्रम तय हो जाता है तो इसे **'पक्की–पोढ़ी'** कहते हैं। थारूओं में विवाह की औपचारिकता **'दिखनौरी'** सगाई से शुरू होती है।

थारूओं में विवाह संस्कार प्रचलित परम्परागत रीति के साथ सम्पन्न किया जाता है। इसमें **'चूल्हा बैठाण', 'भूमिया पूजन'**, **'सर देना**, **'तेल चढ़ाना'**, **'पहनावा'**, **भौंणी**, **'कन्यादान'**, **'भंवर'**, आदि मुख्य रस्में निभाई जाती हैं। सामान्य विवाह के अवसर पर प्रत्येक रस्म के निर्वहन में अपने सभी सगे–सम्बन्धी तथा ग्रामवासियों को भोज दिया जाता है। लड़के के विवाह में **'भुईया रोटी'**, **'हल्दी रोटी'** तथा **'कच्ची रोटी'** के नाम पर सभी अतिथियों का सत्कार किया जाता है। इस प्रकार थारू जनजाति में कुल सात प्रकार के विवाह का प्रचलन है–

1. खासी या धर्म विवाह
2. खर्चा विवाह
3. चुटकुटा
4. उधरा या प्रेम विवाह
5. घूस विवाह
6. पति भ्राता विवाह
7. साली विवाह [11]

थारू महिलाओं की स्थिति– थारू समाज में महिलाओं को व्यवहारिक रूप से प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की इच्छा का सम्मान किया जाता है। स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पुरुष वर्ग स्त्रियों की सहायता करते हैं लेकिन उन्हें कोई कार्य करने से रोक नहीं सकता है।

थारूओं का जीवन कच्ची शराब के अत्यधिक प्रयोग से एक अभिशाप बनता जा रहा है। भूख से मरते हुए, गरीबी, बेरोजगारी, ऋण ग्रस्तता में डूबे हुए जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं को भी बड़ी ही कठिनाई के साथ पूर्ण करने वाले थारूओं की शराब एक आवश्यकता बन चुकी है। यही इनकी बीमारी का भी कारण है।[12]

आधुनिक भारतीय परिवेश के 75 वे स्वतंत्रता वर्षगांठ जिसे हम '**अमृतकाल'** के रूप में उत्सव मना रहे हैं किन्तु हमारे समाज के अंग के रूप में उत्तर प्रदेश की थारू जनजातियां आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। यह दुखद एवं विचारणीय पक्ष है। देश का सभ्य समाज, सरकार एवं सामाजिक स्वयं सेवी संस्थाएं भी इस विषय पर मौन दिखाई पड़ती हैं।

पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक एवं पितृ स्थानीय परम्परा का निर्वहन करने वाली थारू जनजातियां अब पलायन के कगार पर खड़ी हैं। महिलाएँ पुरुषों से कम नहीं हैं, परिवार के वृद्धों के प्रति व्यवहार, श्रद्धाभाव, आज्ञाकारिता का हनन का कारण उनकी बेरोजगारी और गरीबी है। इनका आर्थिक पक्ष जहां कृषि और पशुपालन पर आधारित रहा है, वह अब अत्यन्त कमजोर पड़ चुका है। आज आवश्यकता है कि समसामयिक परिवेश में थारू जनजातियों के लिये विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जाय जिससे कि इनका बहुआयामी विकास किया जा सके।

सम्दर्भ ग्रंथ सूचीः

1. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथः सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर–दिल्ली, पृ–378
2. दूबे, गिरिजा प्रसाद एवं त्रिपाठी योगेन्द्र प्रसादः जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, मिश्रा टेडिंग कारपोरेशन वाराणसी, पृ– 55

3- राज जी यादव, अपर्णा; बलरामपुर में थारू जनजाति के बीच दो दिन, www.gaonkelog.com
4. बखसी पवन; सार, संकलन बलरामपुर जनपद, प्रकाशक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास संस्था, तुलसीपुर बलरामपुर पृ–109
5. मुखर्जी; रवीन्द्रनाथ; सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर–दिल्ली, पृ–379
6- गौतम, रीता एवं साहू डी0आर0; थारू जनजाति के सामाजिक परिवेश एवं मौलिक अधिकार का विशलेषण; www.jetir.org
7. मुखर्जी, आर0एन0;सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर–दिल्ली, पृ–379
8. दूबे, गिरिजा प्रसाद एवं त्रिपाठी योगेन्द्र प्रसाद; जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, मिश्रा टेडिंग कारपोरेशन वाराणसी, पृ– 55
9. मुखर्जी, आर0एन0; पृ– 382
10. उपाध्याय, विजय शंकर एवं शर्मा, विजय प्रकाश; भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ–71
11. मुखर्जी; रवीन्द्रनाथ; सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर–दिल्ली, पृ–381
12. उपाध्याय, विजय शंकर एवं शर्मा, विजय प्रकाश; भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ–70